



पत्राक संख्या VI12016/Jal/नीलामी सूचना/ 793

दिनांक : 24 सितम्बर, 2024

नीलामी सूचना

केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, जालंधर में निम्नलिखित सामान की सार्वजनिक बिक्री के लिए निम्न लिखित निबंधन व शर्तों के आधार पर मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:

क्रम सं.	विवरण	अनुमानित मात्रा
01	गेहूँ (Wheat) (DWB-303)	263.54 क्विंटल

नीलामी के नियम व शर्तें :-

- कोटेशन/निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रमुख, भा. कृ. अनु. परिषद - केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र) बादशाहपुर, नकोदर रोड, जालंधर (पंजाब) -144026 के नाम डाक द्वारा या हाथों-हाथ दी जा सकती हैं।
- निविदा इस केंद्र पर दिनांक 14.10.2024 दोपहर 12.00 बजे तक अवश्य पहुंचानी चाहिए। निर्धारित समय/तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दिनांक 14.10.2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे खोला जाएगा।
- निविदा के साझा रु. 10000.00 (रुपये दस हजार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक Demand ड्राफ्ट CPRS, Jalandhar(Payable at Jalandhar) के नाम पर सलंगन करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। असफल बोलीदाता को जमा कारवाई गई धरोहर राशि नीलामी के बाद वापिस कर दी जायगी।
- गेहूँ की नीलामी, जहा है जैसे है के आधार पर की जायगी।
- कोई भी व्यक्ति/फर्म द्वारा गेहूँ का निरीक्षण हेतु किसी भी कार्यदिवस को सुबह 9.30 से साँय 4.30 तक श्री प्रवीण कुमार, तकनीकी अधिकारी (दूरभाष नंबर-9425715703) से संपर्क किया जा सकता है।
- जिस व्यक्ति/फर्म का गेहूँ की खरीद हेतु अधिकतम रेट होगा उसे गेहूँ की बिक्री हेतु फाइनल पेमेंट कार्यालय आदेश प्राप्त होने के पश्चात उठाने से पहले केंद्र के खाते में ऑनलाइन जैसे मनी ट्रांसफर आदि के माध्यम से पाँच दिनों के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा उसके द्वारा जमा करवाई गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
- गेहूँ की भराई हेतु बोरी, लेबर आदि की सप्लाई केंद्र द्वारा नहीं की जाएगी।
- केंद्र द्वारा किसी प्रकार का 'सी' व 'डी' फार्म, रोड़ परमिट इत्यादि जारी नहीं किया जाएगा और अगर कोई टैक्स देय होगा तो वह फर्म को संबंधित कार्यालय में स्वयं जमा करवाना होगा।
- गेहूँ की सप्लाई भा. कृ. अनु. परिषद - केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (क्षेत्रीय केन्द्र) बादशाहपुर, नकोदर रोड, जालंधर (पंजाब) -144026
- किसी प्रकार की कटिंग व राइटिंग होने पर अपने हस्ताक्षर करें।
- फर्म इस बात का ध्यान रखें की दी गई दरें 30 दिनों तक मान्य होनी चाहिए।
- जो फर्म दिशा निर्देश का उल्लंघन करेगी उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अधोहस्ताक्षरी किसी भी या सारी निविदाओं को बिना कारण रद्द करने का अधिकार रखते हैं।

प्रसार के लिए कापी :-

AKMU यूनिट, सीपीआरआई, शिमला नीलामी सूचना को सीपीआरआई शिमला की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

24/9/24

प्रमुख/Head
भा.कृ.अनु.परी - केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
ICAR-Central Potato Research Institute
क्षेत्रीय केन्द्र, जालंधर/Regional Station, Jalandhar